

भारतीय मानक ब्यूरो

मानक भवन,  
9, बहादुर शाह जफर मार्ग,  
नई दिल्ली - 110002

संदर्भ: स्था-V/जी-18/2018

दिनांक : 07.09.2018

विषय: डीडीजीए के रिपोर्टिंग / Reporting of DDGA

**कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER**

सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि डीडीजीए, एडीजी को रिपोर्ट करेंगे और उनके कार्य डीडीजीए / एडीजी के स्तर पर ही समाप्त हो जाएंगे, ऐसे मामलों को छोड़कर जहां प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां महानिदेशक के पास हों।

It has been decided by the Competent Authority that DDGA will report to ADG and his work will terminate at the level of DDGA/ADG except in cases where the administrative and financial powers lies with DG.

2. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।  
This arrangement will come into force with immediate effect.
3. यह आदेश महानिदेशक के अनुमोदन से जारी किया गया है।  
This issues with the approval of DG.

हस्ता/-  
निदेशक (प्रशासन)

कॉपी प्रेषित :

- i) महानिदेशक
- ii) अपरमहानिदेशक
- iii) मुख्य सतर्कता अधिकारी
- iv) उपमहानिदेशक (प्रशासन)
- v) निदेशक (लेखा)
- vi) निदेशक (वित्त)
- vii) निजी फाईल (डीडीजीए)
- viii) आईटीएसडी – for hosting the same on BIS Intranet.

ज. विटोबा  
67.09.18  
(एन. विटोबा)  
निदेशक (प्रशासन)